न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
पहाड़ सिंह पुत्र रतनसिंह, जाति राव, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल, जिला जालौर व अन्य – 1 (प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह)		शांता कुंवर पत्नि माधोसिंह, जाति राव, निवासी कारोली, तहसील देलदर, जिला सिरोही व अन्य – 4 (अप्रार्थी सं. 1 व 2 अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सुराणा तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 अधिवक्ता श्री सोहन सैन)

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 संपठित धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2022
दिनांक28.05.2025

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया गया कि गांव कारोली , तहसील देलदर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के पिताजी रतनसिंह पुत्र आईदान सिंह निवासी कारोली आबूरोड़ के कब्जे खातेदारी व मालकी की पुराने खसरा संख्या 237 की 10 बीघा कृषिभूमि स्थित है जिसे प्रार्थीगण के पिताजी को उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा दिनांक 27.04.1966 को आवंटित की गई थी और वर्ष 1966 में ही आवंटित शुदा का कब्जा भी प्रार्थीगण के पिता को प्रदान कर दिया गया था और तब से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता व उनके पूरे परिवारजन का कब्जा आधिपत्य व कृषिकाश्त रहा है। उक्त आवंटित शुदा कृषिभूमि का नया खसरा संख्या 325/1 व नाप 06 बीघा 08 बिश्वा है जिस भूमि पर प्रार्थीगण के पिता द्वारा कुंआ भी खुदवाया हुआ है। यह कि उक्त खसरा संख्या 237 की 10 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता रतनसिंह को आवंटित होने के बाद वक्त सेटलमेंट भू–प्रबंध विभाग के अधिकारीयो व कर्मचारीयों ने नये राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज के समय उक्त आवंटितशुदा भूमि का अलग खसरा नंबर 325/1 दर्ज कर राजस्व नक्शे में तो अंकन कर दिया था किन्तु भूल या चुकवश उस अलग दर्ज किये गए खसरा नंबर 325/1 के राजस्व रिकॉर्ड जमांबदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार दर्ज करना रह गया था जिस बाबत् प्रार्थीगण के पिता ने उनके जीवनकाल में उक्त गलती सुधारकर जमांबदी में भी उनका नाम दर्ज करने हेतु कानुनी कार्यवाही की थी किन्तु उन कार्यवाहीयों के विचाराधीन रहते ही प्रार्थीगण के पिता का निधन हो गया था। यह कि प्रार्थीगण के परिवारजन को उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में पुराने खसरा संख्या 237 की 10 बीघा अर्थात् नये खसरा संख्या 325/1 की भूमि का अंकन अपने नाम पर दर्ज करवाने हेतु वाद कार्यवाही की आवश्यकता हो गई थी जिस कारण प्रार्थीगण ने [illegible] की कार्यवाही के लिए राजस्व वाद दायर करने के लिये अपने परिचित अप्रार्थी संख्या 02 माधोसिंह को दिनांक 14/09/1992 को भीनमाल में पॉवर [illegible] किया अप्रार्थी संख्या 02 माधोसिंह व उसकी पत्नि अप्रार्थी संख्या 01 शांता कुंवर ने आपस में मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र रचकर प्रार्थीगण व उनके परिवारजन [illegible] जानकारी व सहमति के बिना उक्त पॉवर ऑफ अटोर्नी का दुरूपयोग करके धोखाधडी, व फर्जी तरीके से अप्रार्थी संख्या 01 शांताकुवर के नाम पर दिनांक 12/13जनवरी 2004 को विक्रयविलेख निष्पादित व पंजीकृत करवाकर बिना प्रतिफल के ही बेशकीमती कृषिभूनि हड़पकर प्रार्थीगण व उनके परिवारजन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:17:21 IST
Reason: SelfAttested

सदोष हानि कारित की है। यह कि पॉवर ऑफ अटोर्नी दिनांक 14.09.1992 के पद संख्या 04 एवं 06 में वर्णित इबारत एक दूसरे के विरोधाभाषी होने से उक्त पॉवर ऑफ अटोर्नी के आधार पर अप्रार्थी संख्या 02 को उक्त भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित व पंजीकृत करने या अन्य किसी रीति से उक्त भूमि हस्तान्तरित करने का अधिकार प्राप्त नही होता है जिस कारण उक्त पॉवर ऑफ अटोर्नी के आधार पर निष्पादित व पंजीकृत किया गया उक्त विक्रय विलेख दिनांक 12/13 जनवरी 2004 प्रारम्भतः अवैध व शुन्य है। यह कि मूल वाद के निर्णय तक मौजा गांव कारोली , पटवार हल्का आमथला के खसरा संख्या 325/1 की 06 बीघा 08 बिश्वा कृषि भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को विक्रय, रहन या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित व परिवर्तित नही करने बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने जवाब पेश कर कथन किया कि पुराने खसरा संख्या 237 की 10 बीघा कृषि भूमि वर्ष 1966 में प्रार्थीगण के पिता रतन सिंह को आवंटित हुई, प्रार्थीगण ने पॉवर ऑफ एट्रोनी अप्रार्थी संख्या 2 को दी, क्योंकि उक्त कृषि भूमि रतन सिंह के नाम पर दर्ज नही हुई थी। कि विक्रय पॉवर ऑफ एट्रोनी देते समय यह तय किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 अपनी धन राशि खर्च कर राजस्व वाद लड़ेगा एवं भूमि में नाम अंकन हो जाने पर उक्त कृषि भूमि के वाद लड़ने में एवं भूमि सुधारने में जो खर्च होगा वह भूमि विक्रय करने में प्राप्त हुई राशि बाद करेगे । कि उक्त भूमि से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि होने से एवं रतन सिंह को गांव निकाला देने से उसकी भूमि को कोई भी व्यक्ति क्रय करने का इच्छुक नही होने से अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के भूमि विक्रय की है। कि प्रार्थीगण ने पॉवर ऑफ एट्रोनी केवल वाद की कार्यवाही करने हेतु ही नही बल्कि विक्रय हस्तान्तरण करने हेतु भी दी है। कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पुश्तेनी कृषि भूमि नही है। कि अप्रार्थी संख्या 1 रेकडेड खातेदार कृषक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा है जिसे दिया जाना न्यायोचित है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया गया। चूंकि दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि उक्त प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में एक अन्य वाद उगम कंवर बनाम शांता कंवर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था, उक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में की गई , माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 09.04.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2020 बअनवान उगम कंवर वगैरह बनाम शांता कुंवर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.09.2023 को अपास्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 शांताकंवर व 02 माधोसिंह को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबंद किया गया कि वे ताफैसला मूलवाद ग्राम कारोली में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 325/1 रकबा 06–08 बीघा का रहन, बेचान, हस्तांतरण व अन्य किसी विधि से अंतरण या भारित आदि नही करें। [illegible] भू–अभिलेखीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें।

अतः प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन , अपूर्तनीय क्षति, माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के आदेश दिनांक 09.04.2025 को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण का राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुये अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:17:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन , अपूर्तनीय क्षति, माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के आदेश दिनांक 09.04.2025 को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण का राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि ताफैसला मूलवाद ग्राम कारोली में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 325/1 रकवा 06–08 वीघा का रहन, वेचान, हस्तांतरण व अन्य किसी विधि से अंतरण या भारित आदि नही करें। वर्तमान भू–अभिलेखीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंवर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अंशु प्रिया)I.A.S.
सहायक कलक्टर , आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:17:21 IST
Reason: SelfAttested